



Neutral Citation No. - 2026: AHC-LKO:3

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ पीठ

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

रिट - ए संख्या - 9297 सन् 2023

कर्मचारी क्रमांक 50408115448 प्रहलाद

... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

सचिव, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ एवं 3 अन्य ..विपक्षी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- प्रदीप कुमार

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:- ए.एस.जी.आई.

सुरक्षित दिनांक : 06.10.2025

प्रदत्त दिनांक : 05.01.2026

न्यायालय संख्या - 27

माननीय न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा

1. याचिकाकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण/भारत संघ की ओर से विद्वान् अपर महाधिवक्ता भारत सरकार को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत प्रस्तुत रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष का अनुरोध करते हैं :-

"(i) एक निदेश, आदेश अथवा उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट जारी करते हुए दिनांक 03.04.2023 के पत्र/आदेश को, जो इस रिट याचिका के अनुलग्नक सं.-1 के रूप में संलग्न किया गया है, अपास्त/निरस्त किया जाए।

(ii) परमादेश की प्रकृति में एक लेख, आदेश अथवा निदेश जारी करते हुए संबंधित प्रतिवादी पक्ष को आदेशित किया जाए कि वह दिनांक 14.12.2010 के आदेश पी/लख/254/एमएसीपी/10 (जो प्रतिवादी सं.-2 द्वारा जारी किया गया था) के अनुसरण में दिनांक 01.09.2006 से तथा दिनांक 24.01.2019 के आदेश पी/लख/254/एमएसीपी/18/2046 (जो प्रतिवादी सं.-2 द्वारा जारी किया गया था) के दृष्टिगत आवेदक को एमएसीपी-I एवं एमएसीपी-II का लाभ प्रदान करे।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. याचिकाकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति उत्तर-पूर्वी रेलवे, लखनऊ मंडल, लखनऊ के सुरक्षा विभाग में दिनांक 27/11/1983 को की गई थी तथा 39 वर्ष 7 माह और 3 दिन की सेवा करने के पश्चात् वह दिनांक 30/06/2023 को सेवानिवृत्त हो गया। सेवानिवृत्ति के पश्चात् याचिकाकर्ता का पेंशन भुगतान आदेश जारी किया गया, जिसकी प्रति याचिका के अनुलग्नक सं. 3 के रूप में प्रस्तुत की गई है। याचिकाकर्ता ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उसे सौंपे गए सभी दायित्वों को पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ पूरा किया। अपनी सेवा अवधि के दौरान याचिकाकर्ता को पुलिस थाना आर.पी.एफ. (एम.जी.) जिला गोंडा में प्रकरण क्र. 268 सन् 1993, धारा 3 आर.पी.(यू.पी.) अधिनियम के अन्तर्गत, जो राज्य बनाम राम रक्षा एवं अन्य के रूप में पंजीकृत था, में मिथ्या रूप से फँसाया गया था। परन्तु उचित अधिनिर्णय के पश्चात् विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेलवे, गोंडा ने उक्त आपराधिक प्रकरण का अन्तिम रूप से निर्णय दिनांक 10/08/2001 को किया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को उक्त प्रकरण में दोषमुक्त कर दिया गया। विचारण न्यायालय के दिनांक 10/08/2001 के निर्णय की प्रति याचिका के अनुलग्नक सं. 4 के रूप में प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रकरण को छोड़कर, जिसमें उसे मिथ्या रूप से फँसाया गया था, याचिकाकर्ता का सेवा अभिलेख सम्पूर्णतः निर्दोष रहा।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी सं.-2 द्वारा जारी पत्र क्र. पी/लख/254/एमएसीपी/4/23 दिनांक 03.04.2023 के द्वारा एमएसीपीएस के लाभ (प्रथम एमएसीपी दिनांक 16.11.2012 से तथा द्वितीय एमएसीपी दिनांक 16.11.2022 से) को घटाकर क्रमशः लेवल-04 पर रु. 2400/- और लेवल-05 पर रु. 2800/- कर दिया गया।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि उक्त पत्र के सम्यक् अवलोकन के पश्चात् याचिकाकर्ता ने पाया कि आदेश दिनांक 14.12.2010, पी/लख/254/एमएसीपी/10 दिनांक 01.09.2006 के द्वारा उसे 20 वर्षों की सेवा अवधि पूर्ण होने पर एमएसीपी-I प्रदान किया गया था तथा प्रतिवादी सं.-02 द्वारा जारी आदेश क्र. पी/लख/254/एमएसीपी/18/2046 दिनांक 24.01.2019 के द्वारा 30 वर्षों की सेवा अवधि पूर्ण होने पर दिनांक 24.01.2019 से रु. 4200/- पर एमएसीपी-II प्रदान किया गया था। परन्तु 10 वर्ष 11 माह और 09 दिन की निलम्बन अवधि के कारण तथा दिनांक 01.03.2004 के आदेश के प्रभाव से 05 वर्षों के लिए वेतनवृद्धि रोके जाने के दंड के कारण, उसके दोनों एमएसीपीएस के लाभों को दिनांक 03.04.2023 के पत्र/आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया और उसे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यूनीकृत वेतन स्तर पर एमएसीपीएस का लाभ दिया गया है, जो अवैध और मनमाने ढंग से किया गया है।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि एमएसीपी-1 और एमएसीपी-11 के लाभों के वेतन स्तर में कमी के कारण याचिकाकर्ता वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहा है और उसे उसी के लाभों से वंचित किया गया है, यद्यपि उसे आपराधिक प्रकरण में निर्दोष सिद्ध किया जा चुका है, जो उसके एमएसीपी लाभों में कमी का आधार था।

7. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि वेतन स्तर, एमएसीपी-1 और एमएसीपी-11 के संबंध में विवाद के कारण याचिकाकर्ता के लाभ पहले ही प्रभावित हो चुके हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 300-क का घोर उल्लंघन है। एक बार जब उसे विचारण न्यायालय द्वारा सभी आपराधिक आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है, तो उसके निलम्बन का प्रश्न पोषणीय नहीं है।

8. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आपराधिक प्रकरण में दोषमुक्ति का आदेश दिनांक 10/08/2001 को पारित किया गया था, परन्तु उसके पश्चात् प्रतिवादियों ने जानबूझकर विभागीय जाँच पुनः प्रारम्भ की तथा दिनांक 05/11/2002 को एक जाँच अधिकारी नियुक्त किया, और तदनुसार दिनांक 01/03/2004 को आक्षेपित आदेश इस प्रकार पारित किया गया :-

"रेसुब अधिनियम 1987 की सूची III में प्रदत्त अनुशासनिक अधिकारों को प्रयोग करते हुए श्री प्रहलाद की वार्षिक वेतनवृद्धि पाँच वर्ष के लिए स्थायी रूप (डब्ल्यू.आई.पी.) से प्रभाव से रोकने के दंड से दंडित करता हूँ। इस आदेश के विरुद्ध अपील तीस दिन के अन्दर मंसुआ/लखनऊ को किया जा सकता है। इनकी निलम्बन अवधि दि. 17.7.92 से 06.7.2002 की समयावधि का नियमन निलम्बन में नियमित किया जाता है।"

9. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि दिनांक 01/03/2004 के उक्त आदेश को पारित करते समय विभागीय कार्यवाही में तथ्यों और साक्ष्यों का वही समुच्चय लिया गया जो पहले से ही आपराधिक कार्यवाही में लिया जा चुका था, और दोनों में कोई अन्तर नहीं था। अतः, याचिकाकर्ता के आपराधिक आरोपों से दोषमुक्त होने के पश्चात्, उसके विरुद्ध विभागीय जाँच जारी रखना और उसमें दंड देना पूर्णतः अवैध, अन्यायपूर्ण और मनमाना है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 03/04/2023 का आदेश याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता, अर्थात् 30/06/2023 की



कगार पर पारित किया गया, जिसमें दिनांक 01/03/2004 के आदेश का प्रभाव पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

शुद्धि-पत्र

"वरि० मंडल सुरक्षा आयुक्त / रेसुब / कार्यालय / लखनऊ के कार्यालय आदेश संख्या: पी/ लख / 254 / एमएसीपी / 10 दिनांक 11.12.2010 के द्वारा 20 वर्ष सेवा पूर्ण करने की सूची के क्रमांक 08 पर अंकित श्री प्रहलाद, कान्सटेबल / रेसुब / बादशाहनगर वर्तमान ह०कां० गोंडा को दिनांक 01.09.2008 से एमएसीपी का लाभ तथा इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या पी/लख/254/एमएसीपी/18/2046, दिनांक 24.01.2019 के द्वारा 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 22.11.2014 से 4200/- एमएसीपी का लाभ दिया गया था। परन्तु उक्त कर्मचारी की निलम्बन अवधि 10 वर्ष 11 माह 09 दिन निलम्बन में नियमित हुई है तथा 05 वर्ष स्थायी रूप से वेतनवृद्धि रोकने के दंड का आदेश दिनांक 01.03.2004 को प्रभावी करते हुए इन्हें उक्त दिये गये दोनों एमएसीपी के लाभ को निरस्त करते हुए इन्हें निम्न प्रकार एमएसीपी का लाभ दिया जाता है :-

1- प्रथम एमएसीपी दिनांक 16.11.2012 लेवल-04 में रु. 2400/-

2- द्वितीय एमएसीपी दिनांक 16.11.2022 लेवल-05 में रु. 2800/-"

10. उक्त दिनांक 03/04/2023 के आदेश के प्रभाव से, एमएसीपी का लाभ (प्रथम एमएसीपी 16/11/2012 को तथा द्वितीय एमएसीपी 16/11/2022 को), जो उसे प्रदान किया गया था, को बिना किसी विधिक प्राधिकार जैसे नियम, उद्देश्य या विनियम के क्रमशः लेवल-4 और लेवल-5 पर रु. 2400/- तथा रु. 2800/- तक घटा दिया गया। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को अवैध तरीके से सभी वित्तीय लाभों और परिनिष्ठान लाभों से वंचित कर दिया गया है।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता ने अन्ततः प्रस्तुत किया कि दिनांक 03/04/2023 के आक्षेपित आदेश को पारित करते समय प्रतिवादी ने किसी भी नियम/विनियम/सांविधिक प्रावधान का उल्लेख नहीं किया जिसके अन्तर्गत दिनांक 01/03/2004 के आदेश का प्रभाव पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया है, और इस आधार पर अकेले ही याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रतिवादियों ने प्रति-शपथपत्र में यह स्पष्ट नहीं किया कि यदि दंड का आदेश दिनांक 01/03/2004 को पारित किया गया था, तो उसका प्रभाव 19 वर्षों के पश्चात् क्यों दिया गया, वह भी तब जब याचिकाकर्ता अधिवर्षिता की कगार पर था और उसकी सेवानिवृत्ति में मात्र दो अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माह शेष थे, जिससे स्पष्ट होता है कि आक्षेपित आदेश दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से तथा उसकी अधिवर्षिता के कारण परिनिष्ठान लाभों से वंचित करने की दृष्टि से याचिकाकर्ता को तंग करने हेतु पारित किया गया था। अतः यदि उक्त दंड आदेश दिनांक 01/03/2004 को प्रभावी किया जाना है, तो प्रतिवादी तदनुसार राशि काट सकते हैं जो अवैध और मनमाने ढंग से किया गया है।

12. याचिकाकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता ने सिविल अपील सं. 5848-49 सन् 2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **देव प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा बोर्ड**, निर्णीत दिनांक 30.06.2014 में पारित निर्णय, **कैप्टन एम. पॉल एन्थनी बनाम भारत गोल्ड माइन्स लि. और एक अन्य** के प्रकरण में सिविल अपील सं. 1906 सन् 1999, निर्णीत दिनांक 30.03.1999 में पारित निर्णय, इस न्यायालय के प्रकरण **प्रेम कुमार त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** [प्राकृतिक उद्धरण सं. 2024:AHC 47778], **राम लाल बनाम राजस्थान राज्य और अन्य**, सिविल अपील सं. 7935 सन् 2023 (उच्चतम न्यायालय) में पारित निर्णयों पर आश्रय लिया।

13. इसके विपरीत, प्रतिवादियों/भारत संघ के विद्वान् अधिवक्ता ने प्रति-शपथपत्र पर आश्रय लेते हुए प्रस्तुत किया कि 30 वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर याचिकाकर्ता को ग्रेड पे रु. 4200/- पर संशोधित संचित कैरियर प्रगति योजना (एमएसीपी) का लाभ दिया गया था, परन्तु दिनांक 01/03/2004 के आदेश द्वारा 10 वर्ष, 11 माह और 9 दिनों की याचिकाकर्ता की निलम्बन अवधि के नियमितीकरण के लाभ के संबंध में आदेश दिया गया और पाँच वर्षों के लिए वेतन स्तर में वेतनवृद्धि रोकने का निदेश जारी किया गया तथा उसे पूर्व में दिया गया एमएसीपी का लाभ भी निरस्त कर दिया गया, जो कि विधि के अनुसार है और उसमें कोई त्रुटि नहीं है। याचिकाकर्ता की सेवा अवधि के दौरान रेलवे सम्पत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 की धारा 3 के अन्तर्गत उसके विरुद्ध एक प्रकरण पंजीकृत किया गया था, जिसमें अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेलवे, गोंडा द्वारा याचिकाकर्ता का सह-अभियुक्तों के साथ अपराध क्र. 03 सन् 1992, प्रकरण सं. 268 सन् 1993 में विचारण किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया। उस प्रकरण में, रेलवे सुरक्षा बल, गोंडा ने याचिकाकर्ता राम रक्षा के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया था और जाँच करने के पश्चात् याचिकाकर्ता के विरुद्ध पुलिस थाना आर.पी.एफ. (एम.जी.) जिला-गोंडा में अपराध क्र. 03 सन् 1992 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। जाँच के दौरान याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप सत्य पाया गया और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस प्रकार रेलवे सुरक्षा बल नियम, 1987 के नियम 153 के अन्तर्गत सहायक सुरक्षा आयुक्त (आर.पी.एफ.), गोंडा द्वारा उसके विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थित की गई और आरोप-पत्र जारी किया गया। परन्तु जाँच कार्यवाही दिनांक 10/08/2001 के निर्णय द्वारा न्यायालय द्वारा विचारण के निष्कर्ष तक स्थगित रही। विभागीय कार्यवाही में याचिकाकर्ता के विरुद्ध जाँच अधिकारी ने पाया कि आरोप उसके विरुद्ध सिद्ध हुए हैं, अतः अपनी दिनांक 01/01/2004 की रिपोर्ट द्वारा जाँच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट सहायक सुरक्षा आयुक्त (आर.पी.एफ.), लखनऊ को सौंपी, जिन्होंने जाँच रिपोर्ट का परीक्षण करने के पश्चात् दिनांक 01/03/2004 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को संचयी प्रभाव से पाँच वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि रोकने का दंड दिया। याचिकाकर्ता ने दिनांक 01/03/2004 के आदेश के विरुद्ध रेलवे सुरक्षा बल, लखनऊ के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त के समक्ष विभागीय अपील प्राथमिकृत की गई है, जिसे अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 02/11/2004 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया। आदेशों की प्रतियाँ प्रति-शपथपत्र के साथ संलग्न हैं।

14. उन्होंने अन्ततः प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की दोषमुक्ति सक्षम न्यायालय द्वारा संदेह का लाभ देते हुए पारित की गई थी, जो सक्षम प्राधिकारी के निदेश के अन्तर्गत किसी शिथिल कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जाँच संचालित करने पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध या बाधा नहीं डालती। याचिकाकर्ता के प्रकरण में भी, आर.पी.एफ. नियम 1987 की अनुसूची III के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को दंड दिया क्योंकि जाँच अधिकारी द्वारा की गई जाँच में उसका दोष सिद्ध पाया गया था। रेलवे सुरक्षा बल एक अनुशासित सशस्त्र बल है, जिसमें उसके अधिकारियों द्वारा उच्चतम अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है। आपराधिक विचारण में याचिकाकर्ता की दोषमुक्ति सम्मानजनक नहीं थी, बल्कि उसे संदेह का लाभ देकर की गई थी।

15. अभिलेख के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति प्रारम्भ में रेलवे सुरक्षा बल, उत्तर-पूर्वी रेलवे, लखनऊ मंडल, लखनऊ में दिनांक 27 नवम्बर, 1983 को हुई थी और वह 30 जून, 2023 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्ति के पश्चात् दिनांक 03 जुलाई, 2023 को याचिकाकर्ता को पेंशन भुगतान आदेश जारी किया गया। पेंशन प्रयोजन के लिए उसका वेतन-बैंड लेवल-V दर्ज किया गया और मूल वेतन सहित ग्रेड पे रु. 38,100/- परिगणित किया गया। सेवा अवधि 23 नवम्बर, 1983 से 30 जून, 2023 तक दर्शाई गई है।

यह प्रतीत होता है कि दिनांक 17 जुलाई, 1992 की एक घटना के संबंध में याचिकाकर्ता के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विरुद्ध पुलिस थाना आर.पी.एफ. (एम.जी.) जिला-गोंडा में आर.पी.(यू.पी.) अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत अपराध क्र. 3 सन् 1992 पंजीकृत किया गया था। सह-अभियुक्त मुख्य आरक्षी राम रक्षा, आर.पी.एफ./ओपी सीडीआर यार्ड ने आर.पी.एफ. अधिकारियों को बताया कि 16 जुलाई, 1992 की रात्रि में वह आरक्षी प्रहलाद (याचिकाकर्ता) के साथ मार्शलिंग यार्ड में खड़े एक वैगन से सरसों के तेल की एक-एक टिन, जिनमें प्रत्येक में 15 कि.ग्रा. सरसों का तेल था, चुराकर ले गया था। सरसों के तेल की दो टिनें, जो राम रक्षा के सरकारी आवास से और चोरी की सम्पत्ति से बरामद की गईं, रेलवे सुरक्षा बल अधिकारियों की साक्षी उपस्थिति में सीलबन्द कर दी गईं। रेलवे सम्पत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 की धारा 3 के अन्तर्गत आर.पी.एफ. अधिकारियों द्वारा अभियुक्त राम रक्षा और प्रहलाद (याचिकाकर्ता) के विरुद्ध परिवाद दर्ज किया गया। विचारण के दौरान दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के समर्थन में कुल 13 साक्षियों को प्रस्तुत किया गया। विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का सम्यक् मूल्यांकन करने और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत अभियुक्तों के कथनों पर विचार करने के पश्चात् सम्पूर्ण अभियोजन संस्करण पर संदेह व्यक्त किया और टिप्पणी की कि दोनों अभियुक्तों को पूर्व शत्रुता के कारण साक्षियों द्वारा मिथ्या रूप से फँसाया गया है। न तो माल के प्रेषक ने और न ही प्राप्तकर्ता ने खेप में कमी के संबंध में कोई परिवाद दर्ज कराया था। अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं हो सके, और इसलिए वे संदेह का लाभ पाने के अधिकारी थे। उक्त निष्कर्षों के आधार पर विद्वान् विचारण न्यायालय ने दिनांक 10 अगस्त, 2001 के निर्णय और आदेश द्वारा दोनों अभियुक्तों, राम रक्षा और प्रहलाद (याचिकाकर्ता) को उक्त आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

16. यह प्रतीत होता है कि भारत संघ द्वारा उक्त दोषमुक्ति के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई। याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के पश्चात् उसके विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थित की गई, परन्तु बाद में इसी मामले में आपराधिक प्रकरण की लम्बितता के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। दोषमुक्ति के निर्णय के पश्चात् रेलवे द्वारा जाँच पुनः प्रारम्भ की गई। दिनांक 05/11/2002 को श्री उमेश सिंह, निरीक्षक, रेलवे सुरक्षा बल, लखनऊ सिटी को नामित किया गया, जिन्होंने दिनांक 01/01/2004 को जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता ने दिनांक 25/01/2004 को जाँच रिपोर्ट के विरुद्ध अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसे अनुशासनिक प्राधिकारी ने अस्वीकार कर दिया। अनुशासनिक जाँच में पाया गया कि रेलवे वैगन में कुल 1188 टिनें सरसों के तेल की परिवहन की जा रही थीं। दो टिनों की कमी पाई गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सरसों के तेल की दो टिनें मुख्य आरक्षी राम रक्षा के निवास से दोनों कर्मचारियों, राम रक्षा और प्रहलाद के निर्देश पर बरामद की गईं और उन पर वही मार्का और ब्रांड नाम अंकित था जो सरसों के तेल की 1188 टिनों की खेप में दर्शाया गया था। जाँच के दौरान, मुख्य आरक्षी श्री एन.के. यादव, प्रभारी निरीक्षक, मुख्य आरक्षी श्री नवल किशोर सिंह, आरक्षी बच्चा जी शाह, आरक्षी राम कृपाल सिंह और निरीक्षक श्री एस.पी. मिश्रा ने विभागीय प्रकरण का समर्थन किया और शिथिल आरक्षी प्रहलाद (याचिकाकर्ता) के विरुद्ध साक्ष्य दिए।

17. अनुशासनिक प्राधिकारी/सहायक सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल, लखनऊ ने जाँच रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् पाया कि आरक्षी प्रहलाद रेलवे सम्पत्ति की चोरी करने के गम्भीर आरोप का दोषी है और रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1987 की अनुसूची (I) के अन्तर्गत उसमें निहित अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए संचयी प्रभाव से 5 वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि रोकने का दंड दिया तथा उसकी 17/07/1992 से 06/07/2002 तक की निलम्बन अवधि नियमित की गई। याचिकाकर्ता ने रेलवे सुरक्षा बल, लखनऊ के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त के समक्ष विभागीय अपील प्रस्तुत की, जिसे दिनांक 02.11.2004 को खारिज कर दिया गया और अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिया गया दंड पुष्ट किया गया। अनुशासनिक अपीलीय प्राधिकारी ने इस आधार पर आपराधिक न्यायालय में याचिकाकर्ता की दोषमुक्ति का लाभ नहीं दिया कि उसे संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता को 20 वर्षों की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 04/01/2010 को दिनांक 01/09/2006 से प्रभाव से एमएसीपी-I तथा 30 वर्षों की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 24/01/2019 को ग्रेड पे रु. 4200/- पर एमएसीपी-II प्रदान किया गया था। परन्तु 10 वर्ष, 11 माह और 9 दिन की निलम्बन अवधि के कारण तथा दिनांक 01/03/2004 के दंड आदेश के दृष्टिगत, उसके दोनों एमएसीपी के लाभ दिनांक 03/04/2023 के पत्र/आदेश द्वारा निरस्त कर दिए गए। उसे वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल, लखनऊ द्वारा जारी शुद्धि-पत्र दिनांक 03/04/2023 द्वारा न्यूनीकृत वेतन स्तर पर एमएसीपी का लाभ दिया गया है, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है। याचिकाकर्ता ने उक्त शुद्धि-पत्र दिनांक 03/04/2023 के विरुद्ध प्रस्तुत याचिका दायर की है।

18. जाँच रिपोर्ट तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेलवे, गोंडा द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय के अवलोकन पर यह प्रतीत होता है कि अनुशासनिक कार्यवाही में मुख्य साक्षी, प्रभारी निरीक्षक श्री एन.के. यादव, मुख्य आरक्षी नवल किशोर सिंह, आरक्षी बच्चा जी साहा और निरीक्षक एस.पी. मिश्रा, आपराधिक तथा विभागीय दोनों कार्यवाहियों में सामान्य साक्षी थे। अतः

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संक्षेप में यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही तथा विभागीय कार्यवाही दोनों संस्थित की गई थीं, परन्तु बाद में विभागीय कार्यवाही को आपराधिक प्रकरण के समान आरोपों के संबंध में लम्बितता के कारण स्थगित कर दिया गया था। सन् 2001 में याचिकाकर्ता के आपराधिक आरोपों से दोषमुक्त होने के पश्चात् सन् 2002 में विभागीय कार्यवाही पुनः प्रारम्भ की गई जो याचिकाकर्ता के विरुद्ध परिणत हुई और उसे कदाचार का दोषी पाया गया तथा संचयी प्रभाव से 5 वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि रोकने का प्रमुख दंड दिया गया। तत्पश्चात्, याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति से दो माह पूर्व, उसी कदाचार के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 03/04/2023 को आक्षेपित शुद्धि-पत्र जारी किया गया, जिसके द्वारा सन् 2010 और 2019 में दिए गए उसके दो एमएसीपी, जो सन् 2004 में विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के पश्चात् उसे प्रदान किए गए थे, निरस्त कर दिए गए।

19. याचिकाकर्ता की ओर से याचिकाकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता ने उद्धृत कुछ विधि निर्णयों में यह विधिक प्रस्थापना पुनः व्यक्त की गई है कि किसी विशेष नियम/प्रावधान के अभाव में कोई विभागीय कार्यवाही किसी कर्मचारी के विरुद्ध तब तक जारी नहीं रखी जा सकती है, और न ही उसके सेवानिवृत्ति लाभों से कोई कटौती की जा सकती है, जब वह सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता है, जबकि विभागीय जाँच उसके विरुद्ध लम्बित रहती है।

20. याचिकाकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता ने **जी.एम. टैंक बनाम गुजरात राज्य और एक अन्य**, (2006) 5 एससीसी 446, निर्णीत दिनांक 10/05/2006 के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आश्रय लिया। उस प्रकरण में, अभियुक्त पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(1)(ई) के अन्तर्गत आरोप लगाया गया था, जिसमें आरोप था कि अपीलार्थी के पास अनुपातहीन सम्पत्ति पाई गई थी। विद्वान् विशेष न्यायाधीश ने अपीलार्थी को उक्त आरोप से यह अभिनिर्धारित करते हुए दोषमुक्त किया कि अभियोजन, अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोप को सिद्ध करने में असफल रहा और इस प्रकार अपीलार्थी को उक्त अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह दोषमुक्ति पूर्ण दोषमुक्ति के रूप में थी, न कि संदेह का लाभ देकर। प्रतिवादियों ने विद्वान् विशेष न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को दोषमुक्त करने वाले आदेश को किसी भी मंच पर चुनौती नहीं दी, इसलिए विद्वान् विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश अन्तिमता को प्राप्त हो गया था और अन्तिम निष्कर्ष बन गया था। उसने सन् 1983 में एक अधिकारी के रूप में सेवा में प्रवेश किया था। उसके विरुद्ध विभागीय जाँच का आदेश इस आधार पर दिया गया कि अपीलार्थी की चल और अचल सम्पत्ति उसके ज्ञात आय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के स्रोत के अनुपात में अधिक थी। विभागीय जाँच का आदेश दिया गया तथा दिनांक 31/03/1980 की जाँच रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी को आरोपों का दोषी पाया गया। प्रतिवादी ने दिनांक 21/10/1982 के आदेश द्वारा दंड के रूप में सेवा से बर्खास्तगी का आदेश पारित किया। उक्त बर्खास्तगी आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। विद्वान् एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अपीलार्थी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य थे और याचिका खारिज कर दी। विद्वान् एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने एलपीए प्रस्तुत की और प्रासंगिक तर्क उठाए। खण्डपीठ ने विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को पुष्ट करते हुए एलपीए खारिज कर दी। उक्त निर्णय को विशेष अनुमति याचिका दायर करके माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय ने विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश तथा खण्डपीठ द्वारा एलपीए में पारित निर्णय और आदेश को अपास्त कर दिया, तथा अभिनिर्धारित किया कि चूँकि अपीलार्थी सेवानिवृत्त हो गया था, इसलिए हम बकाया वेतन के बिना बर्खास्तगी के आदेश को अपास्त करना उचित समझते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की :-

"हमारी राय में, विभागीय तथा आपराधिक कार्यवाहियों में तथ्य एवं साक्ष्य का ऐसा ही समुच्चय था, जिसमें कोई अंतर नहीं था, इसलिए अपीलार्थी को सफलता मिलनी चाहिए। दृष्टिकोण और सबूत के बोझ के आधार पर विभागीय और आपराधिक कार्यवाहियों के बीच जो सामान्य भेद किया जाता है, वह इस मामले में लागू नहीं होगा। यद्यपि बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली कार्यवाहियों की लम्बितता के दौरान घरेलू जाँच में दर्ज निष्कर्ष अवर न्यायालयों द्वारा वैध पाया गया, फिर भी जब कर्मचारी की सम्मानजनक दोषमुक्ति हुई, तो उसे नोट करना आवश्यक है और पॉल एन्थनी के प्रकरण में निर्णय लागू होगा। इसलिए, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि अपीलार्थी द्वारा दायर अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।"

21. याचिकाकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय के **कैप्टन एम. पॉल एन्थनी बनाम भारत गोल्ड माइन्स एवं एक अन्य**, एआईआर 1999 एससी 1416 के प्रकरण में भी उस निर्णय पर आश्रय लिया। उक्त प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रश्न विचार किया कि "क्या तथ्यों के समान समुच्चय के आधार पर प्रारम्भ की गई विभागीय कार्यवाही और आपराधिक प्रकरण में कार्यवाही एक साथ जारी रखी जा सकती है?" माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह एक ऐसा प्रश्न है जो सेवा मामले में बार-बार उठता रहता है और इस प्रकरण में पुनः उठा है। अपीलार्थी को कर्नाटक स्थित कोलार गोल्ड

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



फील्ड में एक सरकारी उपक्रम में दिनांक 31/10/1983 को सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। दिनांक 02/06/1985 को पुलिस अधीक्षक द्वारा अपीलार्थी के घर पर छापा मारा गया, जहाँ से कुछ सोने की वस्तुएं बरामद हुईं, इसलिए उसी दिन पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई और उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 03/06/1985 को उसे निलम्बित कर दिया गया। अगले दिन अर्थात् दिनांक 04/06/1985 को उसके घर से उक्त वस्तुओं की बरामदगी के संबंध में नियमित विभागीय जाँच का प्रस्ताव करते हुए आरोप-पत्र जारी किया गया। आरोप-पत्र के उत्तर में उसने अभ्यावेदन के माध्यम से प्रार्थना की कि उसके विरुद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही को पुलिस थाने में उसके विरुद्ध दर्ज एफआईआर के आधार पर आपराधिक कार्यवाही के निष्कर्ष तक स्थगित कर दिया जाए। उसका अभ्यावेदन दिनांक 19/06/1985 को अस्वीकार कर दिया गया। अनुशासनिक प्राधिकारी ने जाँच रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 07/06/1985 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को सेवा से बर्खास्त कर दिया। दिनांक 03/02/1987 को आपराधिक प्रकरण में निर्णय सुनाया गया और अपीलार्थी को इस स्पष्ट निष्कर्ष के साथ दोषमुक्त किया गया कि अभियोजन अपना मामला स्थापित करने में विफल रहा। यह निर्णय दिनांक 12/09/1987 को अपीलार्थी द्वारा प्रतिवादियों को इस अनुरोध के साथ सूचित किया गया कि उसे पुनः बहाल किया जाए, परन्तु प्रतिवादियों ने दिनांक 03/03/1987 के एक पत्र द्वारा अपीलार्थी का अनुरोध इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि आपराधिक प्रकरण से स्वतंत्र रूप से की गई विभागीय जाँच के पूर्ण होने पर उसे सेवा से पहले ही बर्खास्त किया जा चुका था और इसलिए मजिस्ट्रेट द्वारा पारित निर्णय का कोई महत्व नहीं है। प्रतिवादियों द्वारा पारित बर्खास्तगी आदेश को विभागीय अपील में चुनौती दी गई जिसे दिनांक 22/07/1987 को अपीलीय प्राधिकारी ने खारिज कर दिया। अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल की, जिसे विद्वान् एकल न्यायाधीश ने इस निष्कर्ष के साथ स्वीकार किया कि विभागीय कार्यवाही और आपराधिक कार्यवाही, तथ्यों के समान समुच्चय पर आधारित होने के कारण, आपराधिक प्रकरण के परिणाम तक विभागीय कार्यवाही स्थगित रखनी चाहिए थी। चूँकि आपराधिक प्रकरण में अपीलार्थी पहले ही दोषमुक्त हो चुका था और अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं पाया गया, इसलिए प्रतिवादी अपीलार्थी को पुनर्स्थापन या परिणामस्वरूप वेतन देने से विधितः इनकार नहीं कर सकते थे, और अपीलार्थी के पुनर्स्थापन का निदेश देते हुए। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को आपराधिक प्रकरण में पारित निर्णय के अवलोकन के पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध नए सिरे से कार्यवाही संस्थित करने की स्वतंत्रता दी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परन्तु यह निर्णय प्रतिवादियों द्वारा दायर लेटर पेटेंट अपील में खण्डपीठ द्वारा अपास्त कर दिया गया। यह निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में आया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने, निर्णय में उद्धृत कारणों के लिए, अपील स्वीकार की तथा उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय को अपास्त कर दिया और रिट याचिका को स्वीकार करने की सीमा तक विद्वान् एकल न्यायाधीश के निर्णय को बहाल किया। परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय ने विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा प्रतिवादियों को अपीलार्थी के विरुद्ध नई अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने की दी गई स्वतंत्रता को निरस्त कर दिया। प्रकरण की विशेष परिस्थितियों में, विशेष रूप से इस तथ्य के दृष्टिगत कि अपीलार्थी सन् 1987 में आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषमुक्त हो जाने के बाद भी सन् 1985 से यह पीड़ा झेल रहा था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अविलंब तीन माह के भीतर सुरक्षा अधिकारी के पद पर पुनर्स्थापन का और निलम्बन से पुनर्स्थापन की तिथि तक के सभी भत्तों का निदेश दिया।

22. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **उप-प्रबन्धक, आन्ध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम युसुफ मियाँ**, 1997 (2) एससीसी 699 में अपने पूर्व निर्णय का उद्धरण दिया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विभागीय कार्यवाही और आपराधिक प्रकरण के विचारण को एक साथ जारी रखने पर तब तक कोई रोक नहीं है, जब तक कि आपराधिक प्रकरण में आरोप गम्भीर प्रकृति का न हो और उसमें तथ्य और विधि के जटिल प्रश्न शामिल न हों। यदि विभागीय कार्यवाही और आपराधिक प्रकरण तथ्यों के एकसमान और समान समुच्चय पर आधारित हों तथा शिथिल कर्मचारी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण में आरोप गम्भीर प्रकृति का हो, जिसमें विधि और तथ्य के जटिल प्रश्न शामिल हों, तो आपराधिक प्रकरण के निष्कर्ष तक विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखना वांछनीय होगा। आपराधिक प्रकरण में आरोप की प्रकृति गम्भीर है या नहीं, और उस मामले में विधि और तथ्य के जटिल प्रश्न शामिल हैं या नहीं, यह अपराध की प्रकृति, जाँच के दौरान एकत्रित साक्ष्य और सामग्री के आधार पर कर्मचारी के विरुद्ध दायर प्रकरण की प्रकृति अथवा आरोप-पत्र में परिलक्षित तथ्यों पर निर्भर करेगा।

23. **कैप्टन एम. पॉल एन्थनी** (उपरोक्त) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहले ही इंगित किया था कि आपराधिक प्रकरण और विभागीय कार्यवाही दोनों तथ्यों के एकसमान समुच्चय पर आधारित थे, अर्थात् "अपीलार्थी के निवास पर छापा और उसके संचालन तथा वहाँ से आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी।" जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष, जिसकी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एक प्रति हमारे समक्ष रखी गई है, यह दर्शाते हैं कि अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को उस पुलिस अधिकारी और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा सिद्ध किया जाना था जिन्होंने अपीलार्थी के घर पर छापा मारा था और बरामदगी की थी। जाँच अधिकारी ने उनके बयानों पर आश्रय लेते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप स्थापित हो गए। उन्हीं साक्षियों की आपराधिक प्रकरण में परीक्षा की गई, परन्तु न्यायालय ने समस्त साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अपीलार्थी के निवास पर न तो कोई तलाशी ली गई और न ही कोई बरामदगी हुई। अभियोजन का सम्पूर्ण मामला खारिज कर दिया गया और अपीलार्थी को दोषमुक्त कर दिया गया। इन परिस्थितियों में, जहाँ अपीलार्थी को न्यायिक घोषणा द्वारा इस निष्कर्ष के साथ दोषमुक्त किया गया है कि अपीलार्थी के निवास पर छापा और बरामदगी सिद्ध नहीं हुई, तो एकपक्षीय विभागीय कार्यवाही में दर्ज निष्कर्षों को स्थायी रखना अन्यायपूर्ण, अनुचित और आशंकाजनक होगा, क्योंकि दोनों कार्यवाहियों, अर्थात् विभागीय कार्यवाही और आपराधिक प्रकरण, में तथ्य और साक्ष्य का समुच्चय एक ही था, बिना किसी अंतर के। विभागीय कार्यवाही और आपराधिक प्रकरण में जो सामान्य भेद साक्षियों के रूप में किया जाता है, सबूत के बोझ के आधार पर वह इस मामले में लागू नहीं होगा।

24. **राम लाल बनाम राजस्थान राज्य और अन्य**, सिविल अपील सं. 7935 सन् 2023 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 04.12.2023 के प्रतिवेदित निर्णय में यह अवलोकन किया कि अपीलार्थी राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी, 9वीं बटालियन, जोधपुर में एक आरक्षी था। उसकी नियुक्ति दिनांक 15.12.1991 को हुई थी। दिनांक 02.09.2002 को उसके विरुद्ध धारा 420, 467, 468 और 471 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज की गई। तत्पश्चात् दिनांक 02.04.2003 को विभागीय जाँच में आरोप-पत्र भी जारी किया गया। अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप था कि उसने भर्ती के समय बालिग आयु प्राप्त होना दर्शाने के लिए अपनी 8वीं कक्षा की अंक सूची में जन्म तिथि परिवर्तित की थी। अनुशासनिक प्राधिकारी ने दिनांक 31.03.2004 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को सेवा से बर्खास्त कर दिया। अपीलीय प्राधिकारी ने भी अपील खारिज कर दी। आदेश की समीक्षा और दंड पर पुनर्विचार के प्रयास भी निरर्थक रहे। आपराधिक विचारण में, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को धारा 420 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और उसे उसी के लिए कारावास की सजा दी। परन्तु जोधपुर के विद्वान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपील में अपीलार्थी को दोषमुक्त कर दिया। तत्पश्चात् अपीलार्थी ने अपनी बहाली के लिए अभ्यावेदन दिया। बाद में उसने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करने के लिए रिट याचिका दायर की। विद्वान् एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करते हुए रिट याचिका खारिज कर दी कि आपराधिक कार्यवाही और विभागीय कार्यवाही में सबूत का मानक भिन्न है। उन्हें अनुशासनिक प्राधिकारी के आदेश में कोई कमी नहीं मिली। अपीलार्थी द्वारा दायर रिट अपील को भी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विचार के लिए दो प्रश्न निर्मित किए :-

(क) क्या विभागीय जाँच के फलस्वरूप सेवा से अपीलार्थी की बर्खास्तगी न्यायोचित थी?

(ख) इस मामले के तथ्यों में, आपराधिक विचारण में अपीलीय न्यायाधीश द्वारा दिए गए दोषमुक्ति के आदेश का विभागीय जाँच में पारित बर्खास्तगी आदेश पर क्या प्रभाव पड़ता है?

माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रश्न सं. 1 का उत्तर सकारात्मक रूप में देते हुए अभिनिर्धारित किया कि हम सन्तुष्ट हैं कि अनुशासनिक कार्यवाही दूषित है और उसे निरस्त किये जाने योग्य है। प्रश्न सं. 2 के उत्तर में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवलोकन किया कि विभागीय जाँच में जिन साक्षियों की परीक्षा की गई, उन्हीं की आपराधिक विचारण में भी परीक्षा की गई थी। अपीलीय न्यायालय के सम्पूर्ण निर्णय का अवलोकन करने पर यह स्पष्टतः परिलक्षित होता है कि अभियोजन साक्ष्य पर पूर्ण विचार के पश्चात् और यह नोट करने के बाद कि अभियोजन आरोप सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा, अपीलार्थी को दोषमुक्त किया गया। निर्णयों में प्रयुक्त "संदेह का लाभ" और "सम्मानजनक दोषमुक्त" जैसी अभिव्यक्तियाँ जादुई मंत्र की तरह नहीं समझी जानी चाहिए। न्यायालय ऐसी शब्दावली के मात्र प्रयोग से प्रभावित नहीं होगा। न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय निर्णय के सार का परीक्षण करने के लिए बाध्य है, न कि प्रयुक्त अभिव्यक्ति के रूप से। आरोप न केवल समान थे, बल्कि एकसमान थे और साक्ष्य, साक्षी एवं परिस्थितियाँ भी सभी समान थीं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे निम्नानुसार अवलोकन किया :-

"हम सन्तुष्ट हैं कि आपराधिक प्रकरण में अपीलीय न्यायाधीश के निष्कर्ष यह स्पष्टतः दर्शाते हैं कि अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप मात्र 'असिद्ध' नहीं था – वास्तव में अभियोजन साक्ष्य द्वारा ही आरोप 'अप्रमाणित' हो गया था। इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, कोई तथ्य तब 'अप्रमाणित' कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत विषयों पर विचार करने के पश्चात् या तो यह विश्वास करे कि वह अस्तित्व में नहीं है या उसके अस्तित्व को इतना संभाव्य माने कि एक विवेकशील व्यक्ति उस विशेष मामले की परिस्थितियों में इस पूर्वकल्पना

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के आधार पर कार्य करे कि वह अस्तित्व में नहीं है। कोई तथ्य 'अप्रमाणित' तब कहा जाता है जब वह न तो 'साबित' हो और न ही 'अप्रमाणित' [देखें विजयी सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1990) 3 एससीसी 190]।"

25. प्रस्तुत प्रकरण में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की कगार पर आक्षेपित शुद्धि-पत्र जारी किया गया, जिसके द्वारा उसे सेवा की अनिवार्य अवधि पूर्ण करने के पश्चात् प्रदान किए गए दोनों एमएसीपी निरस्त कर दिए गए। उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् दिनांक 03.07.2023 को याचिकाकर्ता को सेवा प्रमाण-पत्र जारी किया गया, जिसमें पूर्व में उसे प्रदान किए गए दोनों एमएसीपी काट दिए गए। एमएसीपी-I और एमएसीपी-II याचिकाकर्ता को कदाचार के संबंध में उसे दंड दिए जाने के बहुत बाद में प्रदान किए गए थे, जिस कदाचार के लिए परिवहन के दौरान रेलवे सम्पत्ति की चोरी करने का दोषी पाया गया था, जिसे रेलवे द्वारा प्रेषक से परिवहन के लिए प्राप्त किया गया था। अनुशासनिक कार्यवाही के याचिकाकर्ता के विरुद्ध निष्पादन सन् 2004 में होने और आक्षेपित शुद्धि-पत्र दिनांक 03/04/2023 द्वारा उसे उक्त दंड दिए जाने के बीच 19 वर्षों का अन्तराल है। यद्यपि आपराधिक कार्यवाही में याचिकाकर्ता को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया था, तथापि विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि उसके विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हुए। दो एमएसीपी के लाभ याचिकाकर्ता को आपराधिक एवं अनुशासनिक कार्यवाहियों के निष्कर्ष के पश्चात् प्रदान किए गए थे; पूर्व याचिकाकर्ता के पक्ष में और उत्तर उसके विरुद्ध। अतः यह अनुमान लगाया जाएगा कि एमएसीपी प्रदान करने पर नियुक्ति प्राधिकारी को याचिकाकर्ता के संबंध में आपराधिक एवं विभागीय कार्यवाहियों के परिणाम की पूर्ण जानकारी थी।

26. यह तथ्य विवादास्पद नहीं है कि आपराधिक कार्यवाही तथा विभागीय कार्यवाही दोनों तथ्यों एवं कदाचार के समान समुच्चय के संबंध में याचिकाकर्ता के विरुद्ध संस्थित की गई थीं, क्योंकि संभाव्य साक्षी, जिनके साक्ष्य पर विभाग ने आश्रय लिया, आपराधिक आरोपों के संबंध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। यदि प्रकरण के तथ्यों पर एक दृष्टि डालें तो पाया जाता है कि आरोपों के अनुसार, याचिकाकर्ता ने सह-अभियुक्त आरक्षी राम रक्षा के साथ मिलकर परिवहन के दौरान एक रेलवे वैगन से प्रत्येक एक टिन सरसों के तेल की चुराई थी और प्रत्येक टिन में 15 कि.ग्रा. सरसों का तेल था। सरसों के तेल की टिनें याचिकाकर्ता के घर से नहीं, बल्कि सह-अभियुक्त राम रक्षा के घर से, कथित रूप से याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्त आरक्षी राम रक्षा के बताने पर बरामद की गई थीं। दोनों टिनें अलग-अलग प्लास्टिक की थैलियों

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में रखी थीं, प्रत्येक में एक टिन सरसों का तेल। यह भी आरोप लगाया गया कि रात्रि लगभग 1:15 बजे साक्षी पीडब्ल्यू-3 बच्चा जी शाह द्वारा याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्त को अपनी-अपनी साइकिल पर एक-एक प्लास्टिक थैली कैरियर पर रखकर रेलवे क्वार्टर सं. 284-बी, जो राम रक्षा को आवंटित था, ले जाते देखा गया था, परन्तु विचारण न्यायालय ने बच्चा जी शाह के साक्ष्य पर इस आधार पर आश्रय नहीं लिया कि उसकी पुष्टि साक्षी पीडब्ल्यू-1 श्री एन.के. यादव के साक्ष्य से नहीं हुई। विचारण न्यायालय ने बरामदगी मेमो को भी संदिग्ध पाया। विचारण न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्त राम रक्षा को भी दोषमुक्त कर दिया। निर्णय में यह घटना कथित रूप से संदिग्ध पाई गई और न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया कि अभियोजन संदेह से परे अभियुक्त का दोष सिद्ध करने में असफल रहा।

27. प्रस्तुत प्रकरण में यह प्रतीत होता है कि आक्षेपित दंड एक कर्मचारी पर उसी कदाचार के लिए अधिरोपित किए गए। एक दंड सन् 2004 में उसी कदाचार के संबंध में कर्मचारी के विरुद्ध आपराधिक आरोपों में दोषमुक्ति के बावजूद अनुशासनिक जाँच के निष्कर्ष पर दिया गया, और दूसरा दंड आक्षेपित शुद्धि-पत्र दिनांक 03/04/2023 द्वारा प्रस्तावित दंड के लिए नई जाँच किए बिना सन् 2004 में दिए गए पूर्व दंड को पूर्वव्यापी प्रभाव देकर दिया गया। यह भी स्पष्ट नहीं है कि सन् 2004 में उक्त कदाचार के संबंध में विभागीय कार्यवाही के निष्कर्ष पर प्रमुख दंड अधिरोपित किए जाने के पश्चात् उसे प्रदान किए गए एमएसीपी को निरस्त करने का दंड अधिरोपित करते समय याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिया गया था या नहीं, आक्षेपित शुद्धि-पत्र दिनांक 03/04/2023 के समर्थन में किसी सांविधिक प्रावधान का हवाला नहीं दिया गया है कि उक्त पत्र में दर्शाया गया दंड 19 वर्षों के अन्तराल के पश्चात् सन् 2004 में याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के निष्कर्ष के बाद, जिसमें संचयी प्रभाव से 5 वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि रोकने का प्रमुख दंड दिया गया था, याचिकाकर्ता पर क्यों अधिरोपित किया गया, यहाँ तक कि उसी कदाचार के आधार पर तथ्यों के समान समुच्चय पर आधारित आपराधिक आरोपों में याचिकाकर्ता की दोषमुक्ति को अनदेखा करते हुए भी। किसी सांविधिक सशक्तीकरण के अभाव में, आक्षेपित आदेश दिनांक 03/04/2023 द्वारा सन् 2004 में विभागीय कार्यवाही के निष्कर्ष पर अधिरोपित दंड को 19 वर्षों की व्यतीत अवधि के पश्चात् पूर्वव्यापी प्रभाव देकर सन् 2010 और 2019 में प्रदान किए गए दो एमएसीपी निरस्त करना विधि के विपरीत प्रतीत होता है, यह तब और भी स्पष्ट है जब आपराधिक न्यायालय ने तथ्यों



के समान समुच्चय पर आधारित उक्त आरोप के लिए याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया था और आपराधिक न्यायालय का वह निर्णय अन्तिमता को प्राप्त हो गया था।

28. अतः, उपरोक्त विवेचना के दृष्टिगत तथा ऊपर उद्धृत न्यायिक प्राधिकारों पर समुचित विचार करते हुए, आक्षेपित शुद्धि-पत्र दिनांक 03/04/2023 निरस्त किया जाता है। प्रतिवादियों को निदेशित किया जाता है कि वे तीन माह के भीतर उनके द्वारा जारी पूर्व आदेशों दिनांक 14/12/2010 और 14/01/2019 के दृष्टिगत याचिकाकर्ता को एमएसीपी-I और एमएसीपी-II का लाभ प्रदान करें, जिनके द्वारा क्रमशः याचिकाकर्ता को एमएसीपी-I और एमएसीपी-II प्रदान किए गए थे।

29. परिणामतः, याचिका स्वीकार की जाती है। तथापि, वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

(राम मनोहर नारायण मिश्रा, न्यायमूर्ति)

5 जनवरी, 2026

डीके